फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

उतमाराम बनाम गोपालराम

किस्म मुकदमा 225 आरटीए **नम्बर 04 / 2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.01.19	अभिभाषक अपीलांट श्री ओम जाखड़ उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि ग्राम देराजसर के खसरा नम्बर 726/46 में तादादी 4.0900 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि का अपीलांट एकमात्र तन्हा खातेदार है। अपीलांट के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का वादगत् भूमि पर कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। अपीलांट वादगत् भूमि पर अपने कब्जे काश्त के अनुसार ढाणी बनाकर निवास कर रहा है। रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि पर कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष मिथ्या कथन करते हुए व अपने आप को कानूनी वारिस बताते हुए दिनांक 15–01–2019 को बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली गई हैं जिसका रेस्पोडेन्ट को कतई अधिकार हासिल नहीं है। अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर कोई विवेचन अंकित नहीं किया गया है। केवल मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनाा पत्र खारिज किया गया है।	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि अपीलांट की खातेदारी भूमि से अपीलांट को बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी तथा अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर ही बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित फरमाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 15–01–2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध में पत्रावली के साथ संलग्न आदेशिकाओं का अवलोकन किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधन आदेश दिनांक 15–01–2019 को पारित किया गया है। उक्त आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण तथ्य प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के संबंध में अपनी कोई विवेचना अंकित नहीं करते हुए मात्र सरसरी तौर पर बिना माईन्ड एप्लाई किये आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है।

वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी की भूमि है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर कोई विवेचन किये बिना व प्रकरण की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलांट का स्थगन प्रार्थना व अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु पर विवेचना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तब तक अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–01–2019 की पालना स्थगित रखी जावे। चूंकि पत्रावली में आगामी दिनांक 31–01–2019 नियत है अतः अपीलांट को जरिये

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

Scanned by CamScanner

अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अदालत मातहत के समक्ष नियत दिनांक को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner